

पत्तन : कार्यालय - 0551 - 2340363
आवास - 0551 - 2201507

प्रेषक,

कुलराधिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाये।

पत्रांक: 915/सम्बद्धता/2007

दिनांक: 26/08/2007

सेवा में,

प्रमुख,
शिवशंकर चतुर्वेदी महाविद्यालय,
दुर्गापुर संतकबीर नगर।

विषय: वी०पी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं का चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 31.07.2007 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संरक्षित के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की आज्ञा की है:

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री प्रवीण कुमार मिश्र	प्रवक्ता वी०पी०एड०
2.	श्री सतोष राय	प्रवक्ता वी०पी०एड०
3.	श्री गजेन्द्र पाठक	प्रवक्ता वी०पी०एड०
4.	श्री रमेश प्रसाद	प्रवक्ता वी०पी०एड०
5.	डा० रवीन्द्र सिंह	विभागाध्यक्ष वी०पी०एड०

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सं. 2-2000-2(85)/97 दिनांक 09. मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर 100के संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण पत्र की प्रतियाँ प्रति विरहित/संविदाओं को प्रस्तुत करने का कार्य करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सं. 2-2005-2(85)/97 दिनांक 11. मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप पत्रों के शिक्षण शुरू से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा केवल मद्र में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुसूचित पद में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकानुपेक्षी वेतन के तहत प्रदान का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रीजिस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सं. 2-2000-2(85)/97 दिनांक 09. मई 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या: 759/सं. 2-2005-2(85)/97 दिनांक 11. मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलराधिव
Mh
16/08/07